क्रम-संख्या–115

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 12 जून, 2019

ज्येष्ठ 22, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 970 / 79-वि0-1–19–2(क)4-2019
लखनऊ, 12 जून, 2019

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2019) जिससे चीनी उद्योग अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2019)

[भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1953 की धारा 18 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

गन्ना के क्रय पर अंशदान

"18(1) किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अधिभोगी द्वारा किसी फैक्ट्री या किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई द्वारा क्रय किये गये प्रत्येक मन गन्ना के लिए एक अंशदान संदत्त किया जायेगा,–

(क) जहां क्रय, किसी गन्ना उत्पादक–सहकारी समिति के माध्यम से किया जाय, वहां अंशदान, गन्ना उत्पादन समिति एवं कौंसिल को उसकी पूँजी/निधि में ऐसे अनुपात में संदेय होगा जैसा कि राज्य सरकार घोषित करे, तथापि कौंसिल को संदेय हिस्सा पचास प्रतिशत् से अधिक नहीं होगा; और

(ख) जहां क्रय, प्रत्यक्षतः गन्ना उत्पादक से किया जाय वहाँ निधि में अंशदान, कौंसिल को संदेय होगाः

परंतु यह कि किसी फैक्ट्री एवं किसी गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता ईकाई के लिए अंशदान की भिन्न–भिन्न दरें विहित की जा सकती हैः

परंतु यह कि, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमित प्रयोजन की दृष्टि से ऐसे अंशदान का पूर्णतः या आंशिक रूप में परिहार कर सकती है;

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय अंशदान, यथाविहित रूप में अनधिक ऐसे दरों पर होगा जिस दर पर निधि में अंशदान, खण्ड (क) के अधीन कौंसिल को संदेय हो;

(3) गन्ना मूल्य के लिए लागू भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूली सहित भुगतान, ब्याज एवं वसूली से संबंधित उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन अंशदान का भुगतान और उसकी वसूली के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

राम नाईक,
राज्यपाल
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

No. 970 (2)-LXXIX-V-1–19-2(ka)4-2019
Dated Lucknow, June 12, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 4 of 2019) promulgated by the Governor. The Chini Udyog Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019

(U.P. Ordinance no. 4 of 2019)

[*Promulgated by the Governor in the Seventieth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 2019.

Amendment of section 18 of U.P. Act no. 24 of 1953

2. *For* section 18 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, the following section shall be *substituted*, namely :-

"18. (1) There shall be paid by the Occupier of a factory or a Gur, Rab or Khandsari Sugar Manufacturing Unit a contribution for every one maund of cane purchased by the factory or a Gur, Rab or Khandsari Sugar manufacturing Unit.

Contribution purchase of cane

(a) Where the purchase is made through a cane-growers' Co-opperative Society, the contribution shall be payable to the Cane-growers' Society and the council in the capital/fund there of in such proportion as the State Government may declare, so however that the share payable to the Council shall not exceed fifty percent, and

(b)Where the purchase is made directly from the cane-grower, the contribution in the fund shall be payable to the Council;

Provided that different rates of contribution may be prescribed for a factory and for a Gur, Rab or Khandsari sugar manufacturing Unit:

Provided further that the State Government may by notification in the official *Gazette* remit in whole or in part such contribution in respect limited purpose specified in the notification.

(2) The contribution payable under clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall be at such rates as may be prescribed not exceeding the rate at which the contribution in the fund may be payable to the Council under clause (a).

(3) The provisions relating to payment, interest and recovery including recovery as arrears of land revenue, applicable to price of cane shall *mutatis mutandis* apply to payment and recovery of contribution under sub-section (1)."

RAM NAIK,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
SANJAI KHARE,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 81 राजपत्र–(हि०)–2019–(250)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० विधायी–2019–(251)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।